नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

निर्णय न्यायालय श्री मुनिदेव यादव, आर0ए0एस0, उप जिला कलेक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट, गंगापुर सिटी (जिला सवाईमाधोपुर)

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
05/2013	12.06.2013	29.05.2015

अल्लानूर पुत्र आलम, बंजारा, गोत्र तिरवान मुसलमान निवासी बाढकला तहसील गंगापुर सिटी —— अपीलार्थी

बनाम

1. धर्मसिंह पुत्र कल्लाराम, गुर्जर निवासी बाढकला तह0 गंगापुर सिटी
2. सूबेदार पुत्र कल्लाराम, गुर्जर निवासी बाढकला तह0 गंगापुर सिटी
3. ज्ञान सिंह पुत्र कल्लाराम, गुर्जर निवासी बाढकला तह0 गंगापुर सिटी
4. धनसिंह पुत्र कल्लाराम, गुर्जर निवासी बाढकला तह0 गंगापुर सिटी
5 धारा सिंह पुत्र कल्लाराम, गुर्जर निवासी बाढकला तह0 गंगापुर सिटी
6 मैनेजर बैक ऑफ बडौदा शाखा उदेई कला तह0 गंगापुर सिटी
7 मैनेजर स्टेट बैक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर शाखा गंगापुर सिटी
8 मैनेजर पंजाब नेशनल बैक शाखा गंगापुर सिटी
9. लैण्ड होल्डर तहसीलदार गंगापुर सिटी ——रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध नामान्तकरण संख्या 73
दिनांक 20.10.1997 ग्राम बाढ कलॉ

उपस्थितः— श्री अल्लानूर अपीलार्थी

निर्णय

अपीलार्थी ने अपील इस आशय की पेश की है कि अपीलार्थी ने ख0न0 136 रकबा 1.37 हेक्टर मे से 1.00 हेक्टर भूमि रेस्पोडेन्ट 1 लगायत 5 को जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र विक्रय की थी। शेष बची 37 एयर भूमि नले के तरफ वाली अपीलार्थी के पास रही। दिनांक 20.5.2013 को अपीलार्थी से रेस्पोडेन्ट ने कहा कि 37 एयर भूमि को अब आइन्दा काश्त मत करना क्योकि यह भूमि हमने हमारे नाम लगवा ली है तथा उन्होने भूमि को बैक के रहन भी रख दिया है। अपीलार्थी ने राजस्व रिकार्ड की नकल निकलवाई तो ज्ञात हुआ कि ख0न0 136 रकबा 1.37 हेक्टर ग्राम बाढकलॉ की खातेदारी रेस्पोडेन्ट के नाम दर्ज है। अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि नामान्तकरण संख्या 73 दिनांक 20.10.1997 को

5

37 एयर भूमि की हद तक खारिज करवाया जावे एवं यह 37 एयर भूमि अपीलार्थी के नाम दर्ज की जावे एवं उस पर किसी बैक का रहन मुर्तहन का इन्द्राज दर्ज नही किया जावे।

अपील के साथ अपीलार्थी ने धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र प्रस्तुत किया है।

अपील दर्ज किया जाकर रेस्पोडेन्टान को तलव किया गया।

रेस्पोडेन्ट न0 2, 3, 4 एवं 9 बाबजूद सूचना उपस्थित नही हुए। रेस्पोडेन्ट न0 1 व 5 की ओर से श्री विजेन्द्र सिंह गुर्जर एड. तथा रेस्पोडेन्ट न0 6, 7, 8 की ओर से श्री दामोदर लाल गर्ग एड. उपस्थित हुए।

अपील के साथ प्रार्थी ने नकल नामान्तकरण संख्या 73 दिनांक 20.10.1997, नकल जमाबंदी संवत 2068 – 71, फोटोकॉपी विक्रय पत्र दिनांक 4.8.1997 पेश किये है।

अपीलार्थी को सुना गया। प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया। फोटोकॉपी विक्रय पत्र दिनांक 4.8.1997 के अनुसार अपीलार्थी ने रेस्पोडेन्ट न0 1 लगायत 5 को ख0न0 136 रकबा 1.37 हेक्टर ग्राम बाढकला मे से 1.00 हेक्टर भूमि बेचान की है। नकल नामान्तकरण संख्या 73 दिनांक 20.10.1997 द्वारा ख0न0 136 रकबा 1.37 हेक्टर ग्राम बाढकलॉ रेस्पोडेन्ट के नाम दर्ज कर दी गई है जो विक्रय पत्र के विपरीत है। फलस्वरूप अपीलार्थी की अपील विधि अनुकूल होने के कारण स्वीकार किये जाने के योग्य है।

आदेश

अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर नामान्तकरण संख्या 73 दिनांक 20.10.1997 ग्राम बाढकला निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण तहसीलदार गंगापुर सिटी को पुनः सुनवाई कर निर्णय किये जाने हेतु प्रति प्रेषित किया जाता है। निर्णय की प्रति तहसीलदार गंगापुर सिटी को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जावे।

पत्रावली फेसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 29.05.2015 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(मुनिदेव यादव)
उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (स0मा0)